

## पुस्तिका-2

अधिकारियों के अधिकार और उनके कर्तव्य

[धारा 4(1)(ख) (ii)]

क्रम सं.	उत्तरदायी अधिकारी	सेवाएं	कर्तव्य
1.	सचिव	विभाग से संबंधित सभी मामले	विभाग का प्रमुख होने के कारण, वह विभाग से संबंधित सभी मामलों को निर्देशित और पर्यवेक्षित करता है।
2.	संयुक्त सचिव	विभाग से संबंधित सभी मामले	कार्यालय का प्रमुख होने के कारण, वह विभाग से संबंधित सभी मामलों को निर्देशित और पर्यवेक्षित करता है।
3.	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: <a href="mailto:shukla.sp@nic.in">shukla.sp@nic.in</a>	<b>नीति से संबंधित मामले:</b> i) राजभाषा अधिनियम, 1963 ii) राजभाषा नियम 1976 iii) राजभाषा नीति	संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके, यदि आवश्यक हो तो, अधिनियम और प्रचलित नीति की संगत प्रावधान।
4.	(क) श्री संदीप आर्य, निदेशक(तकनीकी/कार्यान्वयन/प्रशासन) टेलीफैक्स: 23438129 ईमेल: <a href="mailto:dir-tech@nic.in">dir-tech@nic.in</a>  (ख) श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) टेलीफैक्स: 23438178 ईमेल: <a href="mailto:kewal.krishan@nic.in">kewal.krishan@nic.in</a>	तकनीकी प्रकोष्ठ से संबंधित मामले: i) आईटी टूल्स ii) कंप्यूटर प्रशिक्षण iii) गैर-यूनिकोड को यूनिकोड में बदलना। iv) राजभाषा की वेबसाइट v) सी-डैक, डीआईटी और एनआईसीसे संबंधित मामले।	संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके, यदि आवश्यक हो तो, संगत प्रावधानों के संदर्भ से, अनुरोधों की जांच करना।
5.	श्री बी एल मीना, उप सचिव (बजट/सेवा) फोन: 23438002 ईमेल: <a href="mailto:bl.meena81@nic.in">bl.meena81@nic.in</a>	राजभाषा विभाग/अधीनस्थ कार्यालयों के बजट से संबंधित मामले।	-वही-
6.	श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप सचिव (शिकायत/ अनुसंधान) फोन: 23438155 ईमेल: <a href="mailto:manjula.saxena@nic.in">manjula.saxena@nic.in</a>	केंद्रीय हिंदी समिति (केएचएस)में नामांकित करने के अनुरोध और विभिन्न मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समितियों के लिए नामांकन से संबंधित मामले।	योग्यताओं और अनुभव तथा इस विषय पर मार्गदर्शन के आधार पर अनुरोधों की जांच करना।

7.	श्री बी एल मीना, उप सचिव(बजट/सेवा) फोन: 23438002 ईमेल: <a href="mailto:bl.meena81@nic.in">bl.meena81@nic.in</a>	<b>सीएसओएलएस का काडर प्रबंधन</b> क) काडरसंरचना ख) एकल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले जैसे तैनाती स्थानांतरण आदि। ग) वरिष्ठता पदोन्नति संबंधित अभ्यावेदन।	संबंधित संगठनों जैसे डीओपीटी, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग आदि से, जैसा भी आवश्यक हो, परामर्श करके अनुरोधों की जांच करना।
8.	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: <a href="mailto:shukla.sp@nic.in">shukla.sp@nic.in</a>	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई), नई दिल्ली से संबंधित मामले, जोकि सीएचटीआई के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाए/ प्रस्तुत किए गए तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किए गए हैं।	अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और संबंधित संगठनों जैसे सीएचटीआई, डीओपीटी और यूपीएससी आदि से परामर्श करके देखना ।
9.	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: <a href="mailto:shukla.sp@nic.in">shukla.sp@nic.in</a>	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी)नई दिल्ली से संबंधित मामले, जोकि सीटीबी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाए/ प्रस्तुत किए गए तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित किए गए हैं।	अनुरोधों की संगत नियमों के सापेक्ष और संबंधित संगठनों जैसे सीटीबी, डीओपीटी और यूपीएससी आदि से परामर्श करके देखना।
10	श्री संदीप आर्य, निदेशक (तकनीकी/कार्यान्वयन प्रशासन) टेलीफैक्स: 23438129 ईमेल: <a href="mailto:dir-tech@nic.in">dir-tech@nic.in</a>	आरआईओ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा उठाए गए / प्रस्तुत किए गए, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, गाजियाबाद, कोच्चि, दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से संबंधित मामले।	अनुरोधों की संगत नियमों के सापेक्ष और संबंधित संगठनों से परामर्श करके देखना ।
11	श्रीमती मंजुला सक्सेना,उप सचिव (शिकायत/ अनुसंधान) फोन: 23438155 ईमेल: <a href="mailto:manjula.saxena@nic.in">manjula.saxena@nic.in</a>	राजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए सामान्य शिकायतें।	संगत नियमों के सापेक्ष शिकायतों की जांच करना और संबंधित संगठन को निवारक उपाय करने के लिए सलाह देना।
12	श्री संदीप आर्य, निदेशक (तकनीकी/कार्यान्वयन प्रशासन) टेलीफैक्स: 23438129	<b>निम्नलिखित से संबंधित मामले:</b> (क)राजभाषा नीति का	अनुरोधों की संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो,

	ईमेल: <a href="mailto:dir-tech@nic.in">dir-tech@nic.in</a>	कार्यान्वयन (ख) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (पुस्तकों के लिए)  (ग) क्षेत्रीय सुविधा सेवा प्रकार्य और वार्तालाप।  (घ) हिंदी दिवस  (ङ) केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक)।  (च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक)।	संगठनों से परामर्श करना ।
13	श्रीमती मंजुला सक्सेना, उप सचिव (शिकायत/अनुसंधान) फोन: 23438155 ईमेल: <a href="mailto:manjula.saxena@nic.in">manjula.saxena@nic.in</a>	वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित मामले।	अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना।
14	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका / सीटीबी / प्रशिक्षण) टेली.: 23438250 ईमेल: <a href="mailto:shukla.sp@nic.in">shukla.sp@nic.in</a>	राजभाषा नीति के प्रचार से संबंधित मामले।	अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना ।
15	डॉ श्री प्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (नीति / पत्रिका) टेली.: 23438250 ईमेल: <a href="mailto:shukla.sp@nic.in">shukla.sp@nic.in</a>	<b>निम्नलिखित से संबंधित मामले:</b> (क) त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का प्रकाशन। (ख) मानक पुस्तकों की सूची (ग) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना (गृह पत्रिका के लिए) (घ) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (उत्कृष्ट लेख के लिए)	अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना ।

16	<p>श्री संदीप आर्य, निदेशक (तकनीकी/कार्यान्वयन प्रशासन) टेलीफैक्स: 23438129 ईमेल: <a href="mailto:dir-tech@nic.in">dir-tech@nic.in</a></p>	<p><b>निम्नलिखित से संबंधित मामले:</b> (क) राजभाषा विभाग का समन्वय और प्रसाशन। (ख) राजभाषा विभाग का सामान्य रखरखाव।</p>	<p>अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना।</p>
17	<p>डॉ जे पी कर्दम, निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सातवां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली टेलेक्स: 24361852 ईमेल: <a href="mailto:dirchti-dol@nic.in">dirchti-dol@nic.in</a></p>	<p><b>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले और निम्नलिखित का आयोजन:</b>(क) हिंदी भाषा, टंकण और स्टेनोग्राफी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित मामले। (ग) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (सीएचटीआई), नई दिल्ली से संबंधित मामले, जोकि सीएचटीआई के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाए/ प्रस्तुत किए गए हैं। (घ) उक्त संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें। (ङ) माल और सेवा पूर्तिकारों की शिकायतें। (च) परीक्षा/ परिणाम से संबंधित मामले।</p>	<p>अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना।</p>
18	<p>डॉ एस एन सिंह, निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, 8वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। फोन: 24362025 ईमेल: <a href="mailto:directb-dol@nic.in">directb-dol@nic.in</a></p>	<p><b>केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, आठवां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली से संबंधित मामले:-</b> (क) अनुवाद कार्य और अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी), नई दिल्ली से संबंधित मामले, जोकि</p>	<p>अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना।</p>

		<p>सीटीबी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाए/ प्रस्तुत किए गए हैं।</p> <p>(ग) सीटीबी कार्यालय और इस के क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यपद्धति के विरुद्ध शिकायतें।</p> <p>(घ) परीक्षा/ परिणाम से संबंधित मामले।</p> <p>(ङ) माल और सेवा पूर्तिकारों की शिकायतें।</p>	
19	<p>श्री एस एस राणा, सचिव, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली टैलेक्स: 2301-4187 ईमेल: secy-cpol@nic.in</p>	<p>संसदीय राजभाषा समिति के सचिवालय से संबंधित मामले</p>	<p>अनुरोधों को संगत नियमों के सापेक्ष देखना और जहां कहीं भी आवश्यक हो, संगठनों से परामर्श करना</p>